शहीद मंगल पांडे राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, माधवपुरम, मेरठ

NAAC Re-Accredited Grade B+

विवरणिका – सत्र– 2023–24

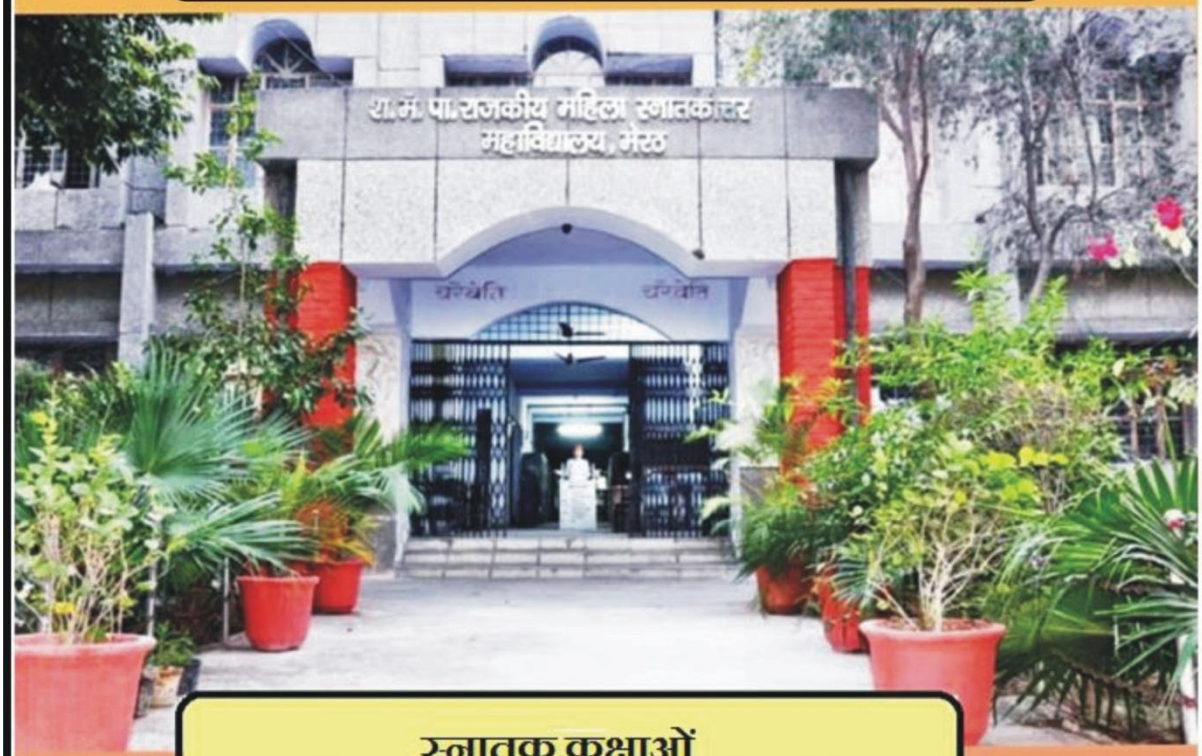

स्नातक कक्षाओं
(बी ए / बी कॉम / बी एस सी) में प्रवेश हेतु

महाविद्यालयसंक्षिप्त परिचय

अपूर्णताओं से भरे संसार में पूर्णता का पर्याय मानसिक दक्षता है और इस दक्षता का सीधा सम्बन्ध शिक्षा से है। शिक्षा से असाधारण उत्कृष्टता, सभ्यता तथा उन्नति के शिखर प्राप्त किये जा सकते हैं। ऐसे ही मानवीय विचारों को स्वयं में संजोये यह महाविद्यालयमेरठ में दिल्ली रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर के सामने माधवपुरम् आवास–विकास योजना के सैक्टर–2 में स्थित है। राजकीय महाविद्यालयों की अनुशासित एवं समृद्ध परम्पराओं की श्रृंखला में इस महाविद्यालय की स्थापना 10 सितम्बर 1999 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पौराणिक, ऐतिहासिक एवं औद्योगिक नगरी मेरठ में, तत्कालीन शहर विधायक डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी जी की विधायक निधि से तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के कर कमलों द्वारा की गयी। यह महाविद्यालय बालिकाओं की उच्च शिक्षा के स्वप्नों को साकार करने के लिए कृत संकल्प है। महाविद्यालय अपनी बाल्यावस्था से ही समस्त अवरोधों को पार करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। मात्र 05 छात्राओं से प्रारम्भ हुए महाविद्यालय में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में छात्राओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय में 15 विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएँ संचालित हैं, जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से सम्बद्ध हैं। सत्र 2006–07 से महाविद्यालय को बी0 एड0 की भी सम्बद्धता प्राप्त हो गई।

सत्र 2010–11 में राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद् (नैक) के द्वारा महाविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान कार्यो एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियों का मूल्यांकन किया गया जिसमें महाविद्यालय को 2.56 सी. जी. पी. ए. के साथ 'बी ग्रेड' प्रदान किया गया था। अत्यन्त गौरव का विषय है कि सत्र 2016–17 में नैक द्वारा महाविद्यालय का पुनर्मूल्यांकन किया गया व महाविद्यालय को 2.61 सी. जी. पी. ए., के साथ 'B^+ ग्रेड' प्रदान किया गया है। साथ ही महाविद्यालय के विकास हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) के द्वारा समय–समय पर अनुदान दिया जाता है। महाविद्यालय में कला संकाय, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाओं सहित अपने–अपने भवन हैं।प्रत्येक विभाग कम्प्यूटर व इण्टरनेट सहित अत्याधुनिक सामग्री से सुसज्जित है। महाविद्यालय में लाईब्रेरी, कम्प्यूटर लैब, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लास रूम आदि सुविधाएँ छात्राओं के विकास हेतु उपलब्ध हैं।

महाविद्यालय छात्राओं में नैतिक मूल्यों की स्थापना तथा उनकी क्षमताओं के अनुरूप उचित मार्गदर्शन प्रदान कर उन्हें सदैव अग्रसर रखने हेतु प्रयासरत् है। महाविद्यालय का वातावरण सुन्दर, अनुशासित एवं शिक्षा प्राप्ति हेतु उत्तम है।हमारा प्रयास अनुशासन, आत्मबल, सद्विचार, कर्त्तव्यपरायणता आदि गुणों द्वारा छात्राओं का सर्वांगीण विकास कर राष्ट्रनिर्माण में सकारात्मक सहभागिता बढ़ाना है। वर्तमान समय में राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक योगदान प्रदान करने में उच्च शिक्षा की प्रमुख भूमिका है। नवीन भूण्डलीय परिस्थितियों में ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' की भावना का प्रसार पूर्व की अपेक्षा अधिक प्रासांगिक है। जाति, धर्म, सम्प्रदायों की संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर छात्राओं में सद्भाव, मैत्री एवं स्नेह स्थापित कर स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना इस महाविद्यालय का उद्देश्य है। निर्धन और मेधावी छात्राओं के साथ–साथ समाज के सभी वर्गो की छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने में माँ शारदे का यह विद्या मंदिर सतत् प्रयासरत है।

वस्तुतः महाविद्यालय का मुख्य लक्ष्य आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में नवीन तकनीकी शिक्षा द्वारा छात्राओं को उच्च गुणवत्तायुक्त व्यवसायोन्मुखी शिक्षा, समाज के हितार्थ नैतिक तथा राष्ट्रनिर्माण हेतु सद्भाव और सामंजस्यपरक शिक्षा प्रदान करता है। निरन्तर गतिमान रहने की प्ररेणा संजोए महाविद्यालय का सूत्र वाक्य ''चरैवेति–चरैवेति'' है जो निरन्तर गतिमान रहने की प्ररेणा देता है तथा विकास के नये आयाम विकसित करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुक्रम में प्रवेश, पाठ्यक्रम एवं विषय चयन सम्बन्धी दिशा निर्देश

1.1संकाय का चयन (Selection of Faculty)

सत्र 2023–24 में विद्यार्थी को स्नातक में प्रवेश के समय सर्वप्रथम एक संकाय का चुनाव करना होगा।यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय कहलायेगा, जिसमें वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक अध्ययन करेगा। विज्ञान संकाय का चयन करने पर अभ्यर्थी को पूर्व निर्देशित अर्हतानुसार अपने वर्ग (बायो/मैथ) का चुनाव करना होगा।

महाविद्यालय में उपलब्ध संकाय(Faculties available in college)

1. कलासंकाय
2. भाषासंकाय
3. ललित कलासंकाय
4. विज्ञानसंकाय(बायो अथवामैथ)
5. वाणिज्यसंकाय

1.2मुख्य विषयों का चयन (Selection of Major Subjects)

स्नातक स्तर पर कुल तीन मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा, जिसमें से दो मुख्य (Major) विषय (M-1 व M-2) उसके चुने हुए संकाय के होंगे तथा तीसरा मुख्य (Major) विषय(M-3) वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है।विषयों काआवंटन मेरिट, महाविद्यालय में उपलब्ध सीट संख्या एवं संसाधनों पर निर्भर होगा। इस व्यवस्था के लिये संकायों का निर्धारण शासनादेश जून 15, 2021 के अनुसार होगा।

महाविद्यालय में उपलब्ध मुख्य विषयों की सूची(List of Major Subjectsavailable in college)

कला संकाय(Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences)

मुख्य विषय (Major) M-1 (Choose any one Subject)	मुख्य विषय (Major) M-2 (Choose any one Subject)	मुख्य विषय (Major) M-3 (Choose any one Subject)
Sociology/ Economics	Sociology/ Economics	Sociology/ Economics
History	History	History/ Hindi
Home Science/ Physical Education and Sports	Home Science/ Physical Education and Sports	Home Science/ Physical Education and Sports/Music
Pol Science	Pol Science	Pol Science/ Drg and ptg

भाषा संकाय (Faculty of Language)

मुख्य विषय (Major) M-1 (Choose any one Subject)	मुख्य विषय (Major) M-2 (Choose any one Subject)	मुख्य विषय (Major) M-3 (Choose any one Subject)
Hindi/ English	Hindi/ English	Sociology/ Economics
		History
		Home Science/ Physical Education and Sports/Music
		Pol Science/ Drg and ptg

ललित कला संकाय (Faculty of Fine Arts and Performing Arts)

मुख्य विषय (Major) M-1 (Choose any one Subject)	मुख्य विषय (Major) M-2 (Choose any one Subject)	मुख्य विषय (Major) M-3 (Choose any one Subject)
Music (Vocal)/ Drawing and Painitng	Music (Vocal)/ Drawing and Painitng	Sociology/ Economics
		History/ Hindi
		Home Science/ Physical Education and Sports
		Pol Science
		Sociology/ Economics

विज्ञान संकाय(Faculty of Science)

	मुख्य विषय (Major) M-1	मुख्य विषय (Major) M-2	मुख्य विषय (Major) M-3
Maths Group	Physics	Maths	Chemistry
Bio Group	Zoology	Botany	

वाणिज्य संकाय (Commerce Faculty)

मुख्य विषय (Major) M-1	मुख्य विषय (Major) M-2	मुख्य विषय (Major) M-3
Commerce	Commerec	Commerece

1.3गौण विषयका चयन(Selection of Minor Subject)

बहुविषयकता **(Multidisciplinary)** सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलैक्टिव पेपर **(Minor Elective)** सभी छात्रों को चौथे विषय/पेपर के रूप में अध्ययन करना होगा। इस पेपर का चुनाव भी वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से कर सकता है। इसके लिये उसे किसी पूर्व पात्रता **(Pre Requisite)** की आवश्यकता नहीं होगी। स्नातक के विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय दोनों वर्षों में किसी भी एक सेमेसटेर में एक–एक माइनर इलेक्टिव पेपर लेना अनिवार्य है।अर्थात् विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों/संसाधनों के अनुरूप माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव करेगा।

महाविद्यालय में उपलब्ध गौण विषयों की सूची(List of Minor Subjectsavailable in college)

कला संकाय **(Faculty of Arts)**	भाषा संकाय **(Faculty of Language)**	ललित कला संकाय **(Faculty of Fine Arts and Performing Arts)**
Hindi	Drawing and Painting/Music	Hindi
English	History /Pol. Science	English
Music	Home Science /Physical Education	Home Science /Physical Education
Drawing and Painting	Sociology /Economics	History /Pol. Science
Business Organization	Business Organization	Business Organization
Business Statistics	Business Statistics	Sociology /Economics
Business Communication/ Introduction to Computer	Business Communication/ Introduction to Computer	Business Communication/ Introduction to Computer
		Pol. Science/ Economics
		Business Statistics

विज्ञान संकाय **(Faculty of Science)**	वाणिज्य संकाय **(Commerce Faculty)**
Hindi	Hindi
Economics	Economics
History /Pol. Science	History /Pol. Science
Sociology /Economics	Sociology /Economics
English	English
Music	Music
Drawing and Painting	Drawing and Painting
Physical Education	Physical Education
Home Science	Home Science
Business Organization	Physics
Business Statistics	Chemistry
Business Communication/Intro to Computer	Maths/Zoology/Botany

तीसरे मुख्य (मेजर) विषय (MAJOR M-3) तथा गौण चयनित पेपर (माइनर इलैक्टिव पेपर) का चयन छात्र को इस प्रकार करना होगा कि इनमें से कोई एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय से हो।

1.4कौशल विकासविषयका चयन(Selection of Skill Development/Vocational Course)

प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे कौशल विकास विषय **(Skill Development/Vocational Course)**में से प्रथम एवं द्वितीय दोनों वर्षोंके प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

1. **Communication Skills and Personality Development (Code - V0001027) -1 Sem.**
2. **Heritage Guide (Code - V0001028) -2 Sem.**
3. **News Writing and Reporting (Code - V0001029) - 4 Sem.**
4. **Sports Engineering (Code - V0001030) -3 Sem.**
5. **Certificate Course in Organic Farming (Code - V0001031) -3 Sem.**
6. **Skill Development Course in Retail Management (Code - V0001032) – 1 Sem.**

1.5सह–पाठ्यक्रम विषयका चयन(Selection of Co-Curricular Course)

स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीनोंवर्षो के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–पाठ्यक्रम करना अनिवार्य होगा। इन सभी सह–पाठ्यक्रमों को 40 प्रतिशत अंकों के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्ताकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इन पेपर्स की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा Multiple Choice Questions पर आधारित होगी।

SEMESTER	CO-CURRICULAR COURSE	PASS PERCENT
प्रथम सेमेस्टर	खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता (Food , Nutrition And Hygiene)	40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण
द्वितीय सेमेस्टर	प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First Aid and Health)	
तृतीय सेमेस्टर	मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies)	
चतुर्थ सेमेस्टर	शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga)	
पंचम सेमेस्टर	विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस (Analytic Ability and Digital Awareness)	
षष्ठ सेमेस्टर	संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास (Communication Skill and Personality Development)	

प्रवेश नियमावली

बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0कॉम0 प्रथम वर्ष (सत्र 2022–23)मेंप्रवेश नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार होंगे। महाविद्यालय मेंएडमिशन हेतु सीट का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई मेरिट तथा महाविद्यालय में उपलब्धसीटों कीसंख्या एवं संसाधनों पर निर्भर करेगा।प्राचार्य द्वारा गठित प्रवेश समिति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ तथा उ0 प्र0 शासन के नियमों के अनुसारप्रवेश प्रकिया संपादित करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अंतिम प्रवेश–तिथि के पश्चात् कोई प्रवेश सम्भव नहीं होगा।प्रवेश समिति की संस्तुति के आधार पर समस्त प्रवेश स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्राचार्य को होगा जो अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

- महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भरा जाएगा।आवेदन–पत्र में समस्त प्रविष्टियों को सुस्पष्ट रूप से भरें।
- अनुसूचित जाति के लिए 21%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, अन्य पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए 27%एवं EWS के लिए 10% (क्षैतिज) स्थान आरक्षित रहेंगे। आरक्षित सीटें रिक्त रहने पर अन्य वर्गो को नियमानुसार अवसर प्रदान किया जायेगा। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिये उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- प्रवेशार्थी का प्रवेश साक्षात्कार के उपरान्त निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही मान्य होगा।
- शास्ता मण्डल के अनुसार रैगिंग करने या वातावरण को दूषित करने वाली किसी भी छात्रा का प्रवेश बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
- सरकारी अथवा स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर उनकी पाल्या/संरक्षक का प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमानुसार स्थान उपलब्ध होने पर ही किया जायेगा।
- शैक्षिक अन्तराल (गैप) के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- आवेदन–पत्र के साथ निम्न प्रमाण–पत्रों की छाया प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है, जो प्रवेशार्थी द्वारा स्वयं प्रमाणित हों–
  - ✓ हाईस्कूलअंकतालिकाएवं प्रमाण–पत्र
  - ✓ इंटरमीडिएट अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र
  - ✓ स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (T.C.)मूलरूपमें
  - ✓ अन्तिम विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्रमूलरूपमें।तथाजिन प्रवेशार्थियों के अन्तिम परीक्षा व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण की है, उनके लिए किसी सेवारत राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र एवं अंतिम संस्था से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र (C.C.)।
  - ✓ आधार कार्ड की छायाप्रति
  - ✓ पासपोर्ट साइज के चार फोटों

- ✓ यूपी बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड से आने वाले प्रवेशार्थी अपने पूर्व Boardद्वाराजारी माइग्रेशन सर्टिफिकेट कॉलेज में जमा नहीं करना है यह सर्टिफिकेट छात्र द्वारा विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म के साथ विश्वविद्यालय भेजा जाएगा।
- ✓ पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्राएं प्रवेश आवेदन –पत्र के साथ ही जाति प्रमाण–पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं नवीनतम आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त)इंटरनेट वेरीफिकेशन कॉपीप्रस्तुत करें।
- ✓ प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ एक शास्तामण्डल प्रपत्र भी संलग्न है। छात्राएँ प्रवेश के एक सप्ताह के भीतर अपना परिचय–पत्र निश्चित रूप से बनवा लें।
- ✓ छात्राएँ आवेदन–पत्र के साथ अपना पता लिखे दो पोस्टकार्ड आवश्यक रूप से संलग्न करें।

किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास, पुनः प्रवेशएवं विषय परिवर्तनकी प्रक्रिया

- विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सम्बन्धित संकाय में सर्टीफिकेट के साथ निकासी तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सम्बन्धित संकाय में डिप्लोमा के साथ निकासी की सुविधा होगी।
- विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार–परक **(Vocational)**प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नियमानुसार उल्लेख होगा।
- विद्यार्थी महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों/शिक्षकों/संसाधनों/नियमों के आलोक में द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय**(M-1,M-2,M-3)**बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है। परन्तु विषय परिवर्तन एक वर्ष के पश्चात् होगा, सेमेस्टर के बाद नहीं।

क0स0	समय	विषय	न्यूनतम क्रेडिट	प्रमाण–पत्र
1	01 वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर	3 Major 1 Minor 2 Vocational 2 Co-curricular	46	सम्बन्धित संकाय में सर्टिफिकेट
2	02 वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर	3 Major 1 Minor 2 Vocational 2 Co-curricular	92	सम्बन्धित संकाय में डिप्लोमा
3	03 वर्ष (छःसेमेस्टर) पूर्ण करने पर	2 Major 2 Co-curricular 2 Minor Research Project	142	सम्बन्धित संकाय में डिग्री

नोटः–विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार पुनः प्रवेश ले सकेगा।

क्रेडिट निर्धारण, उपस्थिति एवं परीक्षाः

- ✓ सैद्धांतिक (theory) के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 13–15 घंटे का शिक्षण कार्य होगा।
- ✓ प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 26–'30घंटे का प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा।
- ✓ विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट (न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर दो वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर तीन वर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 अर्जित करने पर पी0जी0डी0आर0 ले सकता है।
- ✓ तीन वर्षों में विद्यार्थी जिस संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री दी जाएगी और विश्वविद्यालय में नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगा।
- ✓ क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।
- ✓ परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- ✓ छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता तो, वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाओं में उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।
- ✓ सभी विषयें के प्रश्न पत्र 100 अंकों के होंगे जिनकों क्रेडिट एंव फार्मूला के अनुसार परसेन्टाइल एवं ग्रेड में सॉफटवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।
- ✓ सभी विषयों की परीक्षा 100 में से 25 अंकों के लिये सतत आन्तरिक मूल्यांकन एवं 75 अंकों के लिये बाह्य मूल्यांकन के आधार पर सम्पन्न की जायेगी।
- ✓ 25 अंको का मूल्यांकन पाठ्यक्रमों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार होगा।
- ✓ असाइनमेंट तथा क्लास टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाएं महाविद्यालय द्वारा कम से कम 02 माह तक सुरक्षित रखी जायेगी।

अन्य महत्वपूर्ण नियम

1. एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उनके क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है, तो उसके क्रेडिट उपभोग कर लिये माने जाएंगे अर्थात उसके ये क्रेडिट डिप्लोमा अथवा डिग्री के लिये उपयोग नहीं किये जा सकेंगें। यदि वह कुछ वर्षो बाद डिप्लोमा लेना चाहता है तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट खाते में रि–क्रेडिट करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा, जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षो के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है। तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

2. यदि कोई योग्य छात्र (Fast Learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर उसे अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष मेंही मिलेगी। अंतराल के दौरान या विषय परिवर्तन की स्थिति में वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।
3. द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आएगे न कि डिप्लोमा की, क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
4. यदि विद्यार्थी तीन वर्ष मे किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत, यथा–112 का 60 अर्थात 67 क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है। तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजुकेशन (B.L.E) की डिग्री दी जाएगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता (Pe-Requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्यतः इस श्रेणी में कला संकाय के ऐसे विषय आयेगे जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।
5. यदि कोई योग्य छात्र सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट पुनः जमा (Requisite) कर लेता है। और आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो वह रि–क्रेडिट किए गए क्रेडिट का उपभोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 के संदर्भमें विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधाएँ।

- ✓ विद्यार्थी यू0जी0सी0/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पोर्टलSWAYAM संस्थानों से 20 प्रतिशत तक क्रेडिट ऑनलाइन कोर्स/पेपर के माध्यम से प्राप्त कर सकता हे।
- ✓ विश्वविद्यालयीन व्यवस्था के दृष्टिगत ऑनलाइन पेपर चयनित करने की यह सुविधा माइनर/इलेक्टिव पेपर्स के लिये छूट पर ही लागू होगी।
- ✓ यू0जी0सी0 के नियमों के अनुसार ऑनलाइन कोर्स के क्रेडिट महाविद्यालयों में संचालित पाठयक्रम में जुडेगे।
- ✓ विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय के अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती हे। इस सुविधा का लाभ विद्यार्थियों को प्रदान करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय पारम्परिक रूप से अनुबन्ध हस्ताक्षरित करते हुए उसकी एक प्रति सूचनार्थ विश्वविद्यालय को भेजेंगे।

महाविद्यालय में दिव्यांग छात्र छात्राओं हेतु उपलब्ध सुविधाएं

- महाविद्यालय में दिव्यांग छात्राओं की सुरक्षा एवं सुविधा हेतु विशेष निम्नलिखित सुविधाओं की उपलब्धता है प्रत्येक भवन में आवागमन हेतु सुगम आवागमन हेतु राम की व्यवस्था है रैंप महाविद्यालय में छात्राओं हेतु व्हीलचेयर भी उपलब्ध है।
- जिस कक्षा में विकलांग छात्राएं हैं उन कक्षाओं को यथासंभव नीचे के फ्लोर को क्या कहते हैं हिंदी में नीचे के तल पर लगाया जाता है भूतल पर परीक्षा समय में भी ऐसी छात्राओं हेतु भूतल पर ही परीक्षा देने की सुविधा उपलब्ध है ।

  विकलांग छात्रों हेतु प्रवेश में आरक्षण की सुविधा भी राज्य सरकार के नियमानुसार महाविद्यालय में लागू है।

शुल्क विवरण सत्र–2023–24

शुल्क दरें (वार्षिक) (विश्वविद्यालय शुल्क छोड़कर)

कक्षा	शुल्क (रू0में)
बी0ए0 I (बिना प्रयोगात्मक)	1840
बी0ए0 I (एक प्रयोगात्मक)	2130
बी0ए0 I (दो प्रयोगात्मक)	2370
बी0ए0 II (बिना प्रयोगात्मक)	1717
बी0ए0 II (एक प्रयोगात्मक)	1957
बी0ए0 II (दो प्रयोगात्मक)	2197
बी0ए0 III (बिना प्रयोगात्मक)	1217
बी0ए0 III (एक प्रयोगात्मक)	1457
बी0ए0 III (दो प्रयोगात्मक)	1697
बी0 कॉम0 I	1840
बी0 कॉम0 II	1717
बी0 कॉम0 III	1217
बी0 एस0 सी0 I (मैथग्रुप)	2370
बी0 एस0 सी0 II (मैथग्रुप)	2197
बी0 एस0 सी0 III (मैथग्रुप)	1697
बी0 एस0 सी0 I (बायो ग्रुप)	2610
बी0 एस0 सी0 II (बायो ग्रुप)	2437
बी0 एस0 सी0 III (बायो ग्रुप)	1937

नोट–

1. उपरोक्त शुल्क में **प्रवेश पंजीकरण शुल्क रू0–100/– मात्र सम्मिलित है ।**
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को शुल्क में शासनादेशानुसार छूट दी जायेगी।
   - उक्त शुल्क संरचना में शासन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संशोधन संम्भव है। शुल्क वृद्धि होने की दशा में छात्रा को बढा शुल्क महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना होगा।
   - छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अर्ह छात्राओं को जिला समाज कल्याण कार्यालय से निर्धारित ऑनलाइन आवेदन करने पर नियमानुसार देय होगी।
   - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की ऐसी छात्राएँ जिनके अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आय से कम है, को प्रवेश के समय नियमानुसार शुल्क में छूट मिलेगी।

- अनुसूचित जाति की छात्राओं को प्रवेश के समय शुल्क में छूट प्राप्त करने हेतु जाति, आय व मूल निवास प्रमाण पत्र मूल रूप में एवं ऑनलाइन सत्यापन प्रस्तुत करना होगा।
- अनुसूचित जाति/जनजाति की ऐसी छात्रायें जिन्होंने प्रवेश के समय शुल्क में नियमानुसार छूट ली है, उन्हें अपना अवशेष शुल्क विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म जमा करने से पूर्व महाविद्यालय कार्यालय में अनिवार्य रूप में जमा करना होगा।

• अनुशासन सम्बन्धी नियम एवं आचरण संहिता

महाविद्यालय में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, छात्राओं की समस्याओं के निराकरण एवं उन्हें महाविद्यालय मेंअनुशासित और मर्यादित आचारण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शास्ता मण्डल का गठन किया गया है जिसके द्वारा निर्मित आचार संहिता और अनुशासन सम्बन्धी नियमों का पालन करना प्रत्येक पंजीकृत छात्रा के लिए अनिवार्य है। जो छात्राएँ इन नियमों का उल्लंघन करेंगी या शास्ता मण्डल के निर्देशों का अनुपालन नहीं करेगी, शास्ता मण्डल की संस्तुति पर प्राचार्य महाविद्यालय उनके अभिभावकों को कभी भी महाविद्यालय में बुलवाकर सम्बन्धित छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर महाविद्यालय से निष्कासित कर सकते हैं। महाविद्यालय के अनुशासन सम्बंधी नियम निम्नवत् हैं–

- महाविद्यालय की समस्त छात्राओं को निर्धारित गणवेश में आना अनिवार्य है।
- समस्त पंजीकृत छात्राओं को अपना परिचय–पत्र सदैव साथ रखना अनिवार्य है, जिसका निरीक्षण किसी भी समय प्राचार्य, शास्ता मण्डल अथवा महाविद्यालय प्राध्यापकों द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण के समय परिचय पत्र न पाए जाने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- छात्राओं द्वारा महाविद्यालय परिसर अथवा कक्षाओं में किसी भी बाहरी व्यक्ति, अवांछनीय तत्वों, अस्त्र–शस्त्र तथा मादक पदार्थो को साथ लाना प्रतिबंधित है इस नियम का अनुपालन न करने की स्थिति में महाविद्यालय से निष्कासन अथवा कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। छात्राओं द्वारा महाविद्यालय परिषद् में मोबाइल का प्रयोग करना निषिद्ध होगा।
- छात्राएं कक्षाओं के संचालन, शिक्षणेत्तर समारोहों तथा परीक्षाओं के दौरान शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने में अपना पूर्ण सहयोग देंगी तथा बिना पूर्व सूचना व प्राचार्य अनुमति के कक्षा, समारोह तथा परीक्षा में अनुपस्थित नहीं होगी।
- महाविद्यालय के सौन्दर्यीकरण, स्वच्छता रख–रखाव व विकास में योगदान प्रत्येक छात्रा का नैतिक दायित्व है। इस संदर्भ में महाविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाना, फूल–पत्ती तोड़ना, गंदगी फैलाना, दीवार या ब्लैक बोर्ड पर अनावश्यक लिखना तथा वाहनों को निर्धारित स्थान के अतिरिक्त इधर–उधर खड़ा करना या इन सभी कार्यो के लिए दूसरों को उकसाना दण्डनीय है।

विशेष निर्देश–महाविद्यालय परिसर में समस्त छात्राओं को कोविड–19 गाइडलाइन्स का पालन करना अनिवार्य है।

महाविद्यालय गणवेश (College Unifrom)

छात्राओं में सादगी, समरूपता और शालीन आचरण के उद्देश्य से महाविद्यालय में कक्षावार निर्धारित गणवेश निम्न प्रकार है–

1–स्नातक स्तर पर बी0 ए0 बी0 कॉम0, बी0 एस–सी0 सफेद सलवार–कुर्ता व (V) गले की काली जैकेट

2–एम0 ए0, एम0 एस–सी0, एम0 कॉम0 की छात्राओं हेतु यूनीफार्म में (V) गले की काली जैकेट के साथ सफेद, सलवार सूट निर्धारित है।

3–बी0 एड0 की समस्त छात्राओं के लिए सफेद रंग का कुर्ता–सलवार व मैरून रंग की (V) गले की जैकेट निर्धारित है।

4– शीतकाल में समस्त छात्राओं के लिये सादा काला स्वेटर/कार्डिगन/कोट/जैकेट एवं काला स्टॉल/शाल व काले जूते पहनना अनिवार्य है।

नोट–विवाहित छात्राएँ सफेद कुर्ते के स्थान पर मैरून रंग का सलवार कुर्ता या साड़ी पहन सकती है।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

महाविद्यालय का अपना एक स्वयंसंचालित समृद्ध पुस्तकालय है जिसमें महाविद्यालय में संचालित विभिन्न विषयों के अतिरिक्त सामान्य विषयों पर बड़ी संख्या में उत्कृष्ट पुस्तकें उपलब्ध है। इसके साथ ही विविध विषयों पर जर्नल्स भी उपलब्ध है। रिक्त वादनों में छात्राओं हेतु विभिन्न पत्र–पत्रिकाएँ एवं दैनिक समाचार पत्र आदि पढ़ने की समुचित व्यवस्था विद्यमान है। छात्राओं द्वारा पुस्तकालय प्रयोग करते समय अवांछनीय गतिविधियाँ दण्डनीय होगी।**छात्राओं द्वारा पुस्तकालय से निर्गत पुस्तको पर लिखना, उन्हें गन्दा करना, फाडना, समय से वापिस न करने अथवा खोने आदि पर दण्डात्मक कार्यवाही अथवा भरपाई शुल्क लिया जाएगा।**

पाठ्यक्रम सहभागी/सह–शैक्षणिक गतिविधियाँ

राष्ट्रीय सेवा योजना–राष्ट्रसेवा की भावना का विकास करने हेतु महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 100–100 स्वयं सेविकाओं की दो ईकाईयाँ दो कार्यक्रम अधिकारियों के निर्देशन में कार्यरत हैं जिसके अन्तर्गत प्रत्येक स्वयं सेविका के लिये 120 घण्टे का सेवा कार्य करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सात दिवसीय विशेष शिविर व चार दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जाता है।

एन0 सी0 सी0–जुलाई –2014 से प्रारम्भ छात्राओं में राष्ट्रीय एकता और अनुशासन के उद्देश्य से 55 कैडेट्स की एक यूनिट एन0 सी0 सी0 की संचालित है, जिसमें केवल प्रथमवर्ष की छात्राएं ही भाग ले सकती हैं।**वर्तमान सत्र में केवल 28 सीट ही प्रवेश हेतु उपलब्ध है।** प्रवेश पहले आओ पहले पाओं तथा शारीरिक सक्षमता के आधार पर उन्ही छात्राओं को दिया जायेगा जो वार्षिक 30 परेड में सम्मिलित हो सकती हैं।

रेंजर्स–राष्ट्रसेवा के लिए सदैव तत्पर रहने की भावना एवं स्वावलम्बन की भावना का समुचित विकास करने के लिए महाविद्यालय में रेंजर्स का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। रेंजर्स की एक इकाई कार्यरत है।

क्रीड़ा परिषद्–स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। छात्राओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिये क्रीड़ा परिषद् की देखरेख में इन्डोर एवं आउटडोर खेंलो एवं जिम की समुचित व्यवस्थाएँ विद्यमान हैं।

इकोरेस्टोरेशन क्लब –छात्राओं में पर्यावरण जगरूकता एवं परिवेश को प्रदूषण मुक्त रखने की भावना में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में इकोरेस्टोरेशन क्लब की स्थापना की गई है।

रेमेडियल पाठ्यक्रम (निर्बल वर्ग सहायता)–इसके अन्तर्गत निर्बल वर्ग एवं कम प्रतिभा वाली छात्राओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

कैरियर काउंसलिंग एव रोजगार प्रकोष्ठ–प्रतिस्पर्धा के इस युग में कैरियर के प्रति जागरूक रहने के लिए यह प्रकोष्ठ छात्राओं को रोजगार सम्बन्धी नवीनतमसूचनाएँ देकर आत्मनिर्भर बनाने हेतु सार्थक प्रयास करता है।

साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिषद्–छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा में विकास हेतु साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिषद् प्रत्यके वर्ष ''युवा सप्ताह'' का आयोजन करती है।

प्रसार व्याख्यान माला समिति–विभिन्न महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक समकालीन विषयों पर विचार–विमर्श एवं गहन विश्लेषण करने के उद्देश्य से उक्त समिति द्वारा प्रसार व्याख्यान माला का आयोजन कराया जाता है।

महिला सहायता प्रकोष्ठ एवं शिकायत निवारण प्रकोष्ठ–शासन के निर्देशानुसार स्थापित उक्त प्रकोष्ठ के माध्यम से महिलाओं विशेषकर छात्राओं की समस्याओं का समाधान किया जाता है।

विभागीय परिषदें–महाविद्यालय में छात्राओं के बौद्धिक एवं शैक्षिक विकास हेतु सभी विषयों में परिषदों का गठन किया जाता है। जो विभाग प्रभारी के निर्देशन में वाद–विवाद, भाषण, निबन्ध, पोस्टर, क्विज आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है।

महाविद्यालय पत्रिका–छात्राओं की सृजनात्मक लेखनशीलता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महाविद्यालय पत्रिका **'जागृति'** प्रकाशित होती है।

पुरातन छात्र–परिषद्–उक्त परिषद् महाविद्यालय की पुरातन छात्राओं से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखती है तथा महाविद्यालय विकास में उनकी सहभागिता की अपेक्षा करती है।

छात्र अभिभावक संघ–उक्त संघ के माध्यम से अभिभावकों को अपने पाल्य एवं महाविद्यालय गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जाती है।

एंटी रैगिंग कमेटी –महाविद्यालय परिसर में रैगिंग पर पूर्णतया नियन्त्रण एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु समिति सक्रिय है।

आई. क्यू. ए. सी.–महाविद्यालय में गुणवत्ता सुधार प्रक्रिया को सतत रूप से चलाये रखने के उद्देश्य से आन्तरिक गुणवत्ता निर्धारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

छात्र कल्याण परिषद्–उक्त परिषद् द्वारा निर्धन छात्राओं को आर्थिक सहायता एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं को कार्यरूप में परिणित किया जाता है।

प्रो0 (डॉ0) अंजू सिंह–प्राचार्य

प्राध्यापक वर्ग (कला संकाय)

हिन्दी विभाग

1. डॉ0 सुधा रानी सिंह	प्रोफेसर
2. डॉ0 स्वर्णलता कदम	प्रोफेसर
3. डॉ0 नीता सक्सेना	असिस्टेंट प्रोफेसर

अंग्रेजी विभाग

1. डॉ0 मोनिका चौधरी	प्रोफेसर
2. डॉ0 ऊषा साहनी	असिस्टेंट प्रोफेसर
3 डॉ0 शबीना परवीन	असिस्टेंट प्रोफेसर

राजनीतिशास्त्र विभाग

1. डॉ0 अनुजा गर्ग	प्रोफेसर
2. डॉ0 रामचन्द्र सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डॉ0 मुनेश कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर

समाजशास्त्र विभाग

1. डॉ0 लता कुमार	प्रोफेसर
2. डॉ0 गीता चौधरी	प्रोफेसर
3. डॉ0 **मनीषा भूषण**	असिस्टेंट प्रोफेसर

इतिहास विभाग

1. डॉ0 अनीता गोस्वामी	प्रोफेसर
2. डॉ0 राजकुमार सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर

अर्थशास्त्र विभाग

1. डॉ0 भारती दीक्षित	प्रोफेसर
2. डॉ0 मंजू रानी	प्रोफेसर

चित्रकला विभाग

1. डॉ0 रंजन कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर

संगीत गायन विभाग

1. डॉ. राधारानी	असिस्टेंट प्रोफेसर
2. डॉ. शालिनी वर्मा	असिस्टेंट प्रोफेसर

शारीरिक शिक्षा विभाग

1. डॉ0 भारती शर्मा	असिस्टेंट प्रोफेसर
2. डॉ0 पूनम भण्डारी	असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डॉ0 जितेन्द्र बालियान	असिस्टेंट प्रोफेसर

गृहविज्ञान विभाग

1. डॉ0 गौरी	असिस्टेंट प्रोफेसर

प्राध्यापक वर्ग (वाणिज्य संकाय)

1. डॉ0 राकेश कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर
2. डॉ0 आवेश कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डॉ0 विकास कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर
4. डॉ0 नेहा सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर

प्राध्यापक वर्ग (विज्ञान संकाय)

रसायन विज्ञान विभाग

1. डॉ0 सुरेश जैन	प्रोफेसर
2. श्रीमती अलका चौधरी	असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डॉ0 रोशन लाल	असिस्टेंट प्रोफेसर

गणित विभाग

1. डॉ0 अमित कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर
2. डॉ0 सोशल	असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डॉ0 शरद पवॉर	असिस्टेंट प्रोफेसर

भौतिक विज्ञान विभाग

1. डॉ0 ज्योति चौधरी	असिस्टेंट प्रोफेसर
2.श्री राजीव कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डॉ0 डेजी वर्मा	असिस्टेंट प्रोफेसर

वनस्पति विज्ञान विभाग

1. डॉ0 वैभव शर्मा	असिस्टेंट प्रोफेसर
2. डॉ0 सुशील कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डॉ0 अरविन्द कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर

जन्तु विज्ञान विभाग

1. डॉ0 सत्यपाल सिंह राणा	असिस्टेंट प्रोफेसर
2. डॉ0 कुमकुम	असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डॉ0 नरेन्द्र कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर

प्राध्यापक वर्ग (बी0 एड0 संकाय)

1.. डॉ0 भावना सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर
2.. श्रीमती शालिनी सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डॉ0 पारूल मलिक	असिस्टेंट प्रोफेसर
4. डॉ0 मंजू रानी	असिस्टेंट प्रोफेसर
5. डॉ0 आशीष पाठक	असिस्टेंट प्रोफेसर
6. डॉ0 दीपा गुप्ता	असिस्टेंट प्रोफेसर
7.डॉ0 रतन सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर

शिक्षणेत्तर कर्मचारी

1. सुश्री आयशा सैफी	कनिष्ट सहायक
2. श्री कृष्ण पाल सिंह	कनिष्ट सहायक
3. श्री मुकेश चन्द	कार्यालय सहायक
4. श्री मनोज कुमार	कार्यालय सहायक